बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन, 1909 (श०)

(सं० पटना 518) पटना, शुक्रवार 16 अक्तूबर 1987

संख्या वन पर्या० 142/87—1629-व० प०

वन एवं पर्यावरण विभाग

संकल्प

13 अक्तूबर 1987

पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु बिहार पर्यावरण संरक्षण पर्षद, पर्यावरण समन्वय समिति तथा पर्यावरण विभाग के अधीन पर्यावरण मूल्यांकन निकाय तथा संबंधित पर्यावरण समितियों का पुनर्गठन अनुलिखित शर्तों एवं अनुबंधों पर निम्न प्रकार किया जाता है :—

1. बिहार पर्यावरण संरक्षण पर्षद—
   राज्यपाल, बिहार—अध्यक्ष।
   मुख्य मंत्री, बिहार—उपाध्यक्ष।

सदस्यगण	
	मंत्री
(1) मंत्रीगण	.. मंत्री, वन/मंत्री, पर्यावरण/मंत्री, उद्योग/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/मंत्री, नगर विकास/मंत्री, उद्योग/मंत्री, सिंचाई/मंत्री, खनन एवं भूतत्व/मंत्री, कृषि।
(2) सांसद	3 (तीन) मनोनयन द्वारा।
(3) विधायक	12 (बारह) मनोनयन द्वारा, (जिनमें कम-से-कम तीन महिलायें हों)।
(4) गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	(6) मनोनयन द्वारा जिसमें श्रमिक संगठनों (ट्रेड यूनियन) के एक प्रतिनिधि हों।

(5) सरकारी पदाधिकारी—
   (1) मुख्य सचिव, बिहार।
   (2) योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार।
   (3) कृषि विकास आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
   (4) मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि ।
शोध संस्थानों के एक प्रतिनिधि ।
नगर विकास विभाग के वरीयतम पदाधिकारी ।
परिवहन विभाग के वरीयतम पदाधिकारी ।
निजी उद्योग के एक या दो प्रतिनिधि (चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा) ।
क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक या आरक्षी-उप-महानिरीक्षक वरीयतम वन संरक्षक—सदस्य सचिव ।

4. "जिला पर्यावरण समिति" उपायुक्त/जिलाधिकारी—अध्यक्ष ।

सदस्यगण

(1) वरीयतम वन प्रमंडल पदाधिकारी—सदस्य सचिव ।
(2) उप-विकास आयुक्त ।
(3) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ।
(4) मुख्य कारखाना निरीक्षक के प्रतिनिधि ।
(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि ।
(6) पर्यावरण विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी
(7) जिला परिवहन पदाधिकारी ।
(8) असैनिक शल्य चिकित्सक ।
(9) कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग ।
(10) नगरपालिका/नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ।
(11) जिला खनन पदाधिकारी ।
(12) जिला संपर्क पदाधिकारी ।
(13) उपायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत 2 (दो) एक महिला सदस्य ।
(14) आरक्षी अधीक्षक ।
(15) टाउन प्लानिंग निदेशालय के प्रतिनिधि (प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत) प्रमंडलीय एवं जिला स्त समितियों की बैठकें हर माह होंगी ।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त रांची, पर्यावरण संरक्षण की समीक्षा, दक्षिणी छोटानागपुर उत्तरी छोटानागपुर संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ हर तीन महीने पर करेंगे और अपना प्रतिवेदन राज्य स पर्यावरण संरक्षण बोर्ड तथा सचिवालय स्तरीय पर्यावरण समन्वय समिति को भेजेंगे ।

प्रमंडल/जिला स्तरीय समिति के कर्तव्य निम्नांकित होंगे :—

(1) प्रमंडल/जिला के अन्दर पर्यावरण संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।
(2) सरकारी निजी/स्वैच्छिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण योजना तैयार क
(3) वनों का संरक्षण एवं अवैध कटाई रोकने के संबंध में कारंवाई करना ।
(4) पर्यटन, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों की सुरक्षा एवं विकास ।
(5) जल, वायु, ध्वनि एवं चालित वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु कारंवाई क
(6) जल के प्रदूषण से प्रभावित होने वाले स्रोतों जैसे नदियां तथा भू-गर्भ स्रोतों तथा कुएं, इत्यादि के जल का वैज्ञानिक विश्लेषण करना और जन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से गुणवत्ता में सुधार लाना ।
(7) खनिकर्म (भू-सतही एवं भू-गर्भ) द्वारा हो रहे प्रदूषण की रोकथाम ।
(8) खनिकर्म (विशेषकर सभी खनिज पदार्थों के उत्खनन) उद्योग, जलापूर्ति बहिस्राव एवं वाहि के निष्कासन से संबंधित जिला स्तरीय परियोजनाओं, जो पर्यावरण को प्रभावित कर सक को समीक्षा एवं प्राथमिक अनुमोदन करना ।
(9) खनन, उद्योग एवं अन्य विकास से संबद्ध विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प संरक्षण, वन संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम की दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन ।
(10) पर्यावरण संरक्षण हेतु रेडियो, दूरदर्शन, निजी संपर्क, समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार एवं प्रसार

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार-राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार एवं संबंधित सदस्यों को भेजी जाय ।

2. वन एवं पर्यावरण विभागीय संकल्प संख्या 4859 दिनांक 23 नवम्बर 1986 और मंत्रिमंडल स का संकल्प संख्या 1912, दिनांक 20 मई 1987 को रद्द किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आ
दोरस्त प्रसाद,
सरकार के विशेष स

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित एवं
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 519—रा॰ मो॰—827—500—डी॰ आर॰ प्रसाद

(12) नगरों की बढ़ती आबादी, जल एवं मल निकासी की व्यवस्था, सड़कों एवं जमीन पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन ।

(13) जन स्वास्थ्य, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में निर्धारित नीति का पुनर्मूल्यांकन ।

(14) बढ़ते ध्वनि प्रदूषण एवं चालित वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु मार्गदर्शन ।

(15) पर्यावरण जागरणचेतना हेतु शिक्षण प्रणाली में सुधार तथा शोध कार्य की दिशा में मार्ग दर्शन ।

(16) पर्यावरण से संबंधित विषयों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार ।

बिहार पर्यावरण संरक्षण पर्षद की बैठक साल में एक बार होगी ।

2. सचिवालय स्तर पर उच्चस्तरीय "पर्यावरण समन्वय समिति" इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) मुख्य सचिव—अध्यक्ष ।

(2) योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार—उपाध्यक्ष ।

सदस्यगण

(3) (i) कृषि विकास आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

(ii) मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

(iii) उद्योग एवं आधारित संरचना विकास आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

(iv) सचिव, वित्त विभाग ।

(v) अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो ।

(4) सचिव, योजना विभाग ।

(5) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग—सदस्य सचिव ।

(6) योजना से संबंधित विभागीय सचिव ।

(7) पर्यावरण परामर्शी ।

(8) मुख्य कारखाना निरीक्षक—आवश्यकतानुसार ।

(9) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।

(10) अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ।

सचिवालय स्तरीय इस समिति को पर्यावरण समन्वय समिति के रूप में जाना जायेगा और इसके कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) एक करोड़ रुपयों से अधिक लागत की, राज्य सरकार की तथा उसके प्रतिष्ठानों की सभी नयी परियोजनाओं पर पर्यावरण मूल्यांकन के बाद सहमति देना ।

(2) पहले से चल रही राज्य सरकार की तथा उसके प्रतिष्ठानों की सभी परियोजनाओं, जिनकी लागत एक करोड़ से अधिक हो, पर्यावरण मूल्यांकन कर मार्ग दर्शन प्रदान करना ।

(3) एक करोड़ रुपयों से अधिक लागत की केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की नयी चालू परियोजनाओं का मूल्यांकन कर मार्ग दर्शन प्रदान करना ।

(4) प्रमंडल एवं जिला स्तरीय समिति को मार्ग दर्शन देना ।

(5) पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिये निर्धारित सिद्धांतों के कार्यान्वयन के हित में विभिन्न विभागों प्रतिष्ठानों, संगठनों/संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना ।

(6) जल, वायु, ध्वनि एवं चलित वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु वर्तमान अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में, उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करना तथा अन्य नियमों, नियमावली के संधार करने हेतु मार्ग दर्शन देना ।

(7) राज्य के सभी विभागों की पंचवर्षीय योजनाओं का पर्यावरण के दृष्टिकोण से सामान्य मूल्यांकन करना ।

(8) राज्य में नई इकाइयों (एक करोड़ या कम लागत) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करना ।

पर्यावरण समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से होंगी पर किन्हीं दो बैठकों के बीच में दो माह से अधिक का अन्तराल न होगा । यह समिति पर्यावरण विभाग से समय-समय पर प्रतिवेदन एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करेगी तथा इसके प्रतिवेदन बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण पर्षद के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे ।

3. प्रमंडलीय पर्यावरण समिति—इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे—

प्रमंडलीय आयुक्त—अध्यक्ष ।

क्षेत्रीय उप-निदेशक, शिक्षा ।

मुख्य अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई ।

अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

अपर निदेशक उप-निदेशक, खनन ।

अपर निदेशक उप-निदेशक उद्योग ।

उप-निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग ।

उप-निदेशक, कृषि ।

क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य ।

सरकारी प्रतिष्ठानों के दो वरीय प्रतिनिधि ।

पर्यावरण विभाग से मनोनीत पदाधिकारी ।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।

स्वैच्छिक संस्थानों/महिला वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि (चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाए) ।

(5) उद्योग एवं आधारित संरचना विकास आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।
(6) सचिव, वित्त विभाग ।
(7) सचिव, ऊर्जा विभाग ।
(8) सचिव, उद्योग विभाग ।
(9) सचिव, श्रम विभाग ।
(10) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग—सदस्य संयोजक
(11) सचिव, सिंचाई विभाग ।
(12) सचिव, खनन एवं भूतत्व ।
(13) सचिव, योजना विभाग ।

(6) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मनोनीत पदाधिकारी—2(दो) ।

(7) विशिष्ट आमंत्रित सरकारी पदाधिकारी—
(1) अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो ।
(2) सचिव, कृषि विभाग ।
(3) सचिव, नगर विकास एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
(4) सचिव, शिक्षा विभाग ।
(5) सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।
(6) सचिव, परिवहन विभाग ।
(7) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
(8) निदेशक, पर्यटन विभाग ।

(8) सरकारी एवं निजी औद्योगिक संस्थानों, उपक्रमों के प्रतिनिधि :—
(1) अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना ।
(2) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद ।
(3) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद, सेंट्रल कोलफिल्ड्स लि०, रांची एवं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि०, आसनसोल । इन संगठनों में से एक सदस्य जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।
(4) गैर-कोयला खनिजों के सरकारी प्रतिष्ठानों के एक प्रतिनिधि, जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।
(5) बोकारो स्टील लि०, बोकारो, दामोदर घाटी निगम, भारत उर्वरक निगम, सिंदरी, इंडियन आयल्स लि०, बरौनी, प्रोड्यूस फास्फेट एण्ड केमिकल्स लि०, धमधोर । इन संगठनों में से एक सदस्य जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।
(6) राज्य परिवहन निगम, खनिज विकास निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य जल एवं मल-निकास बोर्ड, पटना, बिहार लघु उद्योग निगम, पटना । इन संगठनों में से दो सदस्य जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।
(7) टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी, राज्य के सीमेंट प्लांट, पेपर प्लांट, राज्य के रासायनिक उद्योग । इन संगठनों में से दो सदस्य जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।
(8) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, भागलपुर विश्वविद्यालय; इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद, एम० आर० एस०, धनबाद, सी० एम० आर० आई०, धनबाद, एन० एम० एल०, जमशेदपुर । इन संगठनों में से दो सदस्य जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे ।

(9) अखिल भारतीय सेवा के अवकाशप्राप्त मानक व्यक्ति जो पर्यावरण संबंधित विषयों में रुचि रखते हैं:—
(1) श्री एस० के० मुखर्जी, अवकाशप्राप्त मुख्य सचिव, बिहार ।
(2) श्री मिहिर कुमार झा, अवकाशप्राप्त आरक्षी महानिदेशक, बिहार ।

पर्यावरण संरक्षण पर्षद् के कार्य निम्नलिखित होंगे :—
(1) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आधार पर राज्य के पर्यावरण का मूल्यांकन ।
(2) पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण ।
(3) वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रसार हेतु नीति निर्धारण तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का अनुपालन ।
(4) राज्य सरकार द्वारा नवगठित "सामाजिक प्रसार एवं बंजर भूमि विकास बोर्ड" तथा पुनर्गठित "भूमि उपयोग बोर्ड" के साथ समन्वयन ।
(5) सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के बीच पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्पर्क एवं समन्वयन ।
(6) सिंचाई, नदी घाटी एवं जल विद्युत एवं ताप विद्युत योजनाओं से संबद्ध वातावरणीय समस्याओं पर विचार ।
(7) खनिजों के लिए अपहृत भूमि के पुनर्स्थापन तथा उपयोग हेतु मार्गदर्शन ।
(8) उद्योगों, नगर निकायों एवं संस्थानों की स्थापना, विस्तार तथा कार्यरत रहने की अवस्था में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण हेतु मार्गदर्शन ।
(9) वन्य एवं जल प्राणियों के विकास तथा संवर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शन ।
(10) भूतत्व, पुरातत्व विकास एवं संस्कृति पर्यटन के विकास हेतु मार्गदर्शन ।
(11) राज्य की प्रमुख प्रदूषित नदियों, यथा गंगा, दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा की सफाई हेतु व्यापक योजनाओं को तैयार करने तथा उनको लागू करने हेतु मार्गदर्शन ।